कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एंव विभागाध्यक्ष
उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक:- 295 /सामान्य-सेतु/सेतु-31/17

दि0-12/05/17

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः-प्रदेश में सेतु परियोजनाओं के निर्माण हेतु सेतु एवं पहुंच मार्ग दोनों के लिये एक ही कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2004 से पूर्व सेतु एवं उसके पहुंच मार्ग का निर्माण एक ही कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा था, परन्तु शासनादेश सं0-3608ई/23-11-2004-40ई/2004,दिनांक-15.09.2004 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्डों द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1709ई/23-11-07-40ई/2004,दिनांक-12.09.2007 द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है कि सेतु का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा तथा पहुंच मार्ग का निर्माण जिसमें सेतु के दोनों ओर 200-200 मी0 लम्बाई का पहुंच मार्ग भी सम्मिलित है, को लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाय। इस प्रकार एक ही परियोजना के दो विभिन्न अंशो हेतु दो कार्यदायी संस्था नामित करने की व्यवस्था के फलस्वरूप कार्य स्थल पर निम्न कठिनाईयाँ अनुभव की गयी है:-

(i) आगणन तैयार करने में दो एजेन्सियों द्वारा अपने-अपने भाग का आगणन तैयार करने से एकीकृत परियोजना का आगणन तैयार करने में विलम्ब होता है।

(ii) पुनरीक्षण की स्थिति में पुनः आगणन तैयार करने हेतु यदि किसी एक एजेन्सी द्वारा अपने भाग का आगणन पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह एजेन्सी पुनरीक्षण में रूचि नहीं लेती है। परिणामस्वरूप पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

(iii) यदि परियोजना को पूर्ण करने में कोई विलम्ब होता है, तो दोनो एजेन्सी एक दूसरे के ऊपर दायित्व डालने का प्रयास करती हैं।

(iv) सेतु निगम द्वारा एबटमेन्ट, विंगवॉल तथा बैकवॉल का कार्य विलम्ब से पूर्ण करने से पहुंच मार्ग के निर्माण में देरी होती है। चूँकि पहुंच मार्ग का निर्माण एबटमेन्ट, विंगवॉल तथा बैकवॉल के निर्माण के उपरान्त ही सम्भव होता है।

(v) पहुंच मार्ग के संरेखण में सेतु निर्माण से सम्बन्धित निर्माण सामग्री पड़ी रहने तथा सेतु निर्माण से सम्बन्धित श्रमिकों के शैल्टर आदि बन जाने से पहुंच मार्ग का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाता।

(vi) कार्यस्थल पर सेतु के संरेखण में आंशिक परिवर्तन होने से पहुंच मार्ग के संरेखण में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

(vii) ऐसे स्थानों पर जहाँ नदी के किनारे परिभाषित नहीं होते है, सेतु निर्माण पूर्ण होने व पहुंच मार्ग निर्माण में विलम्ब के फलस्वरूप कभी-कभी नदी धारा परिवर्तित कर सेतु के बाहर चली जाती है व परिणामस्वरूप विभाग की छवि धू-मिल होती है। आदर्शरूप से सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण एक साथ ही पूर्ण होना चाहिये, जिससे जनसामान्य को भी परियोजना का समय से समुचित लाभ मिल सके।

(viii) उपरोक्त क्रमांक-7 पर इंगित परिस्थितियों में यदि पहुंच मार्ग पहले पूर्ण हो जाता है, परन्तु सेतु कार्य अपूर्ण रहता है तो पहुंच मार्गो के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

2- उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासकीय हित में सेतु परियोजनाओं में सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण में सामंजस्य/समन्वय बनाये रखने के लिये पूर्ण परियोजना हेतु एक ही कार्यदायी संस्था नामित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-1 से उप प्रस्तर-8 तक इंगित परिस्थितियों में प्रस्तर-2 के अनुसार सम्पूर्ण एकीकृत सेतु परियोजना हेतु केवल एक ही कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

12/5/17

(वी0के0सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, लखनऊ